UPRB060035902022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) डलमऊ, रायबरेली
पीठासीन अधिकारी– (वसुन्धरा शर्मा) उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP03394

Misc. Civil Cases/538/2022

SMT. PHOOLPATI Vs. RAKESH KUMAR

राष्ट्रीय लोक अदालत

13.09.2025

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क1

1. पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि पर प्रार्थना पत्र 3क पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 3क1 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0 मय शपथ पत्र 4ग2 प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी ने प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा0दी0 के अधीन दायर किया था, जिसमें वादिनी हाजिर अदालत आती थी, जब कि प्रतिवादीगण उक्त वाद में विगत कई तिथियों से हाजिर अदालत नहीं होते थे। दिनांक 14.9.2022 को प्रार्थिनी के पेट में दर्द व दस्त हो जाने के कारण प्रार्थिनी न्यायालय नहीं आ सकी और न अपने अधिवक्ता को सूचित कर सकी। उक्त वाद उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज हो गया। प्रार्थिनी स्वस्थ होने पर दिनांक 17.9.22 को न्यायालय आयी तो उसे मुकदमें के खारिज होने की सूचना मिली। उक्त आधार पर आदेश दिनांकित 14.9.2022 निरस्त करके प्रकीर्ण वाद सं0 106/2000 को उसके नम्बर पर पुर्नस्थापित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थिनी की ओर से फेहरिस्त कागज संख्या 6ग1 से नकल आदेश दिनांकित 14.9.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 6ग1/2 व आधार कार्ड की छाया प्रति 6ग1/4 दाखिल किया गया है।

4. विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त है, परन्तु विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि नियत तिथि को न्यायालय में अनुपस्थित रहने का कारण प्रार्थिनी ने पेट दर्द व दस्त होना बताया है। उक्त वाद उभय पक्षों की अनुपस्थिति में दिनांक 14.9.2022 को खारिज किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2022 को न्यायालय में लाया गया है, जो कि निर्धारित समयावधि के अन्दर है। प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र

शपथ पत्र से समर्थित है। नैसर्गिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मामले का निस्तारण उभयपक्षों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायालय के मत में प्रार्थी द्वारा विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शाया गया है।

7. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र 3क1 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 3क1 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। **प्रकीर्ण वाद सं0 106/2000 फूलमती बनाम राजेश कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 14.9.2022 अपास्त किया जाता है।** प्रकीर्ण वाद सं0 106/2000 पुर्नस्थापित हो। इस आदेश की एक प्रति प्रकीर्ण वाद सं0 106/2000 की पत्रावली में नियमानुसार रखी जाये।

सम्बन्धित मूल वाद की पत्रावली दिनांक 16.11.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

(वसुन्धरा शर्मा)
सिविल जज,(जू०डि०) डलमऊ,
रायबरेली।

Digitally signed by Vasundhara Sharma
Date: 2025.09.16 12:29:51 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge JD Dalmau, Rae Bareli